सूचना

नगर परिषद डलहौजी की मतदाता सूची का प्रारूप निरीक्षण हेतु तहसील कार्यालय तथा नगर परिषद डलहौजी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची का प्रारूप नगर परिषद की वैबसाइट www.municipalcouncildalhousie.in पर भी उपलब्ध है । मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने तथा आक्षेप करने हेतु एस.डी.एम. कार्यालय डलहौजी में 05 अक्तूबर 2020 से 14 अक्तूबर 2020 तक दावे तथा आक्षेप प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिये प्रारूप 4 पर आवेदन किया जा सकता है, मतदाता सूची में विद्यमान प्रविष्टि पर आक्षेप करने हेतु प्रारूप 5 तथा किसी विद्यमान प्रविष्टि की शुद्धि हेतु प्रारूप 6 पर आवेदन किया जा सकता है । मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु असत्य कथन करना नगर परिषद (निर्वाचन) नियम 2015 के नियम 18 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

पुनरीक्षण अधिकारी (नगर परिषद),
एवम् उपमण्डलाधिकारी (ना.),
डलहौजी, जिला चम्बा, हि.प्र.।

Scanned with CamScanner